/85118/2022

ई0 पत्रावली संख्या–13288/2022

प्रेषक,

हरिचन्द सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक 21 दिसम्बर, 2022**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–20 पूंजीलेखा के राज्य सैक्टर मानसून अवधि में बाढ़ कार्यों का सम्पादन/क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–607/प्र0अ0/बजट/बी–1(पुर्नविनियोग), दिनांक 17.12.2022 में किये गये प्रस्ताव एवं शासन के पत्र संख्या–।/84616/2022, दिनांक 20.12.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–20 पूंजीलेखा के राज्य सैक्टर मानसून अवधि में बाढ़ कार्यों का सम्पादन/क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति के दृष्टिगत योजनाओं के अवशेष कार्यों हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से रू0 1200.00 लाख (रूपये बारह करोड़ मात्र) की धनराशि, योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1568/।।(02)/2021–04(77)/2020, दिनांक 10.12.2021 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा निम्न शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाये।

(2) धनराशि आवंटित करने से पहले प्रत्येक कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसकी भौतिक प्रगति का सत्यापन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा, कार्य मानकानुसार पाये जाने व भौतिक प्रगति उचित पाये जाने के उपरान्त ही धनावंटन किया जाय।

(3) योजनाओं पर एकमुश्त धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि योजनाओं पर आवश्यकतानुसार आवंटित की जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2023 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाये। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) निर्माणाधीन योजनाओं हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 31 मार्च 2023 तक का वित्तीय व भौतिक प्रगति, फोटाग्राफ सहित आवश्यक रूप से 15 अप्रैल 2023 तक उपलब्ध कराया जाय, उक्त विवरण उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

/85118/2022

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण– 103–सिविल निर्माण कार्य–07–मानसून अवधि में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का सम्पादन/क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण–53–वृहत निर्माण कार्य के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–236/XXVII(1)/2022/09(150)2019, दिनांक 04.04.2022 एवं शासनादेश संख्या–391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24.06.2022 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– Allotment ID

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 21-12-2022 10:56:34

(हरिचन्द सेमवाल)
सचिव।

ई0 पत्रावली संख्या–13288/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 21-12-2022 11:24:04

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।